

प्रपत्र-2

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.	
क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण कार्य। स्वीकृत लम्बाई 8.200 किमी० की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	1:50000 का मानचित्र एवं डिजीटल, गूगल मैप संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	9.50 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य समरेखन से मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना संभव नहीं है।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	क्षेत्र में अस्थाई रूप से क्षेत्रवासियों को राजेगार मिलेगा एवं क्षेत्र में उपज का मुल्य बाजार दर पर मिलेगा तथा क्षेत्र में यातायात का लाभ मिलेगा। पर्यटन के बढ़ने से क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	
सिविल/राज्य भूमि-	0.540 हे०
मलुवानिस्तारण हेतु प्रयोग की जाने वाली राज्य/सिविल भूमि।	0.400 हे०
नाप भूमि	6.840 हे०
कुल वनभूमि	0.940 हे०
कुल भूमि	7.780 है०
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	शून्य
क) परिवारों की संख्या	शून्य
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता	क्षतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न है।
(वचनवद्धता संलग्न की जाये)	
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान.....

[Signature]
36/PHD

[Signature]
महायुक्त अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला (अरुनोद)

प्रयोक्ता एजेन्सी का हस्ताक्षर

नाम: इ. ठाकुर

मोहर अधिकारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो० नि० वि०

अस्कोट (पिथौरागढ़)

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बोन से गो तक मोटर मार्ग सेतु सहित निर्माण कार्य। स्वीकृत लम्बाई 8.200 किमी० की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य सरकार
(ii) जिला	पिथौरागढ़।
iii) वन प्रभाग	प्रभागीय वन प्रभाग पिथौरागढ़।
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	0.940 हे०
v) वन की कानूनी स्थिति	राज्य भूमि
vi) हरियाली का घनत्व	
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	मोटर मार्ग के निर्माण में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिनकी वैज्ञानिक नाम की सूची संलग्न है।
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-वैज्ञानिक की आख्या/रिपोर्ट संलग्न है तथा रिपोर्ट से सहमत है।
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रदर्शित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	नहीं (वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।)
10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-	
i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभিনিर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	लाए नहीं लाए नहीं

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	1:50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है।
iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	बांज, काफल, उतिस, बुरांश आदि
iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	19,30,000 रु०
v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	चयनित प्रजातियां प्रबन्ध की दृष्टिकोण से उचित चयनित की गई है तथा हस्ताक्षरित है।
11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः	संलग्न है
उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग बेरीनाग। 215750.56 है०
i. जिला का वन क्षेत्र।	243298.00 है०
ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	2025.824 है०
	913.824 है०
iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	1112.00 है०
(ख) वनेत्तर भूमि पर 2020 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(क) वन भूमि पर	3445.00
(ख) वनेत्तर भूमि पर	658.92
13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अंग्रसारित।

दिनांक: 14.2.2020

स्थान: पिथौरा-6

हस्ताक्षर

नाम :-

सरकारी मोहर

वन क्षेत्राधिकारी
धारदुला।

(मंगल सिंह) (वृक्ष)
वन प्रो.ग.

प्रभागीय वन अधिकारी
विधायक वन प्रभाग